## केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक के परिवार की जनाधार कार्ड संख्या:	
2.	आवेदक का पुरा नामः—	प्रार्थी का
3.	जन्म तिथि:-	कलर फोटों
4.	निवास का पूर्ण पता:	
	(क) वर्तमान पता:	
	(ख) स्थायी पता:-	
	क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं: 🔲 हां 🔙 नही	
	यदि नहीं हैं तो आवेदक का मूल राज्य	
5.	धर्म:—	
6.	जाति:–	
7.	उपजाति:	
8.	उपजीविका—वर्गः—	
9.	आवेदक केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिए या राज्य अ.पि. वर्ग के लिए किया जा रहा है	<del>१</del> केन्द्र राज्य
10.	.अ.पि.व. की केन्द्र / राज्य सूची में	
	जाति का क्रम संख्यांक:	
11.	.आवेदक के पिता का नाम:	
12.	.आवेदक की माता का नाम:	
13.	. माता–पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की दशा में सरक्षक का नाम:–	
14.	.आवेदक के पति का नाम:—	
15.	.आवेदक का मोबाईल नंबर:	
	. माता–पिता की प्रास्थिति:—	

	पिता	माता	पति				
(क) संवैधानिक पदः							
(ख) पद का नाम:							
(ग) सरकारी सेवाये:							
	पिता	माता	पति				
(i) सेवा(केन्द्रिय/राज	य)						
(i i) पद नाम			•••••				
(iii)वेतनमान, वर्गीकर	ण सहित, यदि कोई हे	ì					
(iv)पद पर नियुक्ति	की तारिख						
(v)वर्ग / पद पर पदो	न्नति के समयः						
आयु (यदि लागू ह	हो)						
(ध) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र,यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन मे नियोजन							
(i) संगठन का नाम	₹:						
(ii)पद का नाम:							
(iii)सेवा की काला	वधीः						
(दिनांक		सें	तक)				
(iv)मृत्यू / स्थाई ः	अक्षमता(यदि लागू नही	हो तो छोड दिजियें)					
(v)मृत्यु / अधिकारी  व	की स्थायी अक्षमता की तार	रीख जब से वह सेवा के 3	म्योग्य हो गया हो।				
(vi)स्थायी अक्षमता	का ब्यौराः						

(ड) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि से नियोजन				
(i) संगठन का नाम:				
(ii) पद का नाम:				
(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख				
(च) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुये सशस्त्र बल				
(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नही होंगें)				
(i) पद नाम:				
(ii) वेतनमानः				
(छ) व्यवसाय वर्ग(उनको छोडकर जो मद संख्या (ख)और(ग) के अन्तर्गत आते है और व्यापार, कारोबार और उधोग मे लगे हुए व्यक्ति। (i) उप—जीविका / वृत्ति				
(ज) संपत्ति के स्वामी				
(झ) कृषि जोते (माता,पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में)				
(1.)अधरिथति				
(2.)जोत का आकार				
<b>(3</b> .)क— सिंचित				
ख— सिंचित भूमि का प्रकार				
1				
2				
3.				
ग— असिंचित				
(4.) राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित				
जोत का प्रतिशत।				

- (5.)यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो— राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
- (6.) 4 और 5 के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत।
  - (क) बागान
    - (i) फसल/फल
    - (ii) अवस्थिति
    - (iii) बागान का क्षेत्र

## (ख) नगरिय क्षेत्रों या नगर बस्ती मे रिक्त भूमि और / या भवन

- (i) सम्पत्ति की अवस्थिति।
- (ii) सम्पत्ति का ब्यौरा।
- (iii) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी हो।

## (ग) आय/धन

- (i) समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय(वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- (ii) क्या करदाता है (हां / नहीं) ( ) यदि हां तो तीन वर्ष की प्रति दी जावें।
- (iii) क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है (हां / नहीं) (यदि ऐसा हेतो ब्यौरा दीजिएें)

## (घ) अन्य कोई अभ्युक्तियाँ

(ड) मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठीया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और कि मैं अन्य पिछड़ें वर्गों की क्रीमीलियर का हूं या नही हूं ओर अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गतल पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/ नियुक्ति रद्ध करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिए उत्तदायी होउंगा जो विधि या नियमों के उपबंधित की जायें।

स्थान:	
	भवदीय

दिनांकः अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

20-0-1				
	निवासी	विभाग का ना	म <b>्</b>	पद
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता ह			त्र / पुत्री श्री 🗌	
निवासी भली प्र	कार से जानता हूं ये अन्य	। पिछड़ा वर्ग की उपजा	ते	
का की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे	समक्ष दिया गया है जो प	पूर्ण सत्य है।	Vie	
		(ī	हस्ताक्षर गवाह/	'उत्तरदायी वयक्ति)
(ii) गवाह <sup>*</sup> :				
मैं पुत्र/पुत्री श्री		विभाग का ना	H	पद 💮
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता ह			त्र / पुत्री श्री 🗌	90 52
निवासी भली प्र			ते	
का की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे	समक्ष दिया गया है जो प	पूर्ण सत्य है।		
		$\bar{i}$	इस्ताक्षर गवाह <sub>/</sub>	'उत्तरदायी वयक्ति)
	शपथ-पत्र			
*	0 0	post of the Marketon Common	0	C 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
मैं पुत्र / पुत्री श्री		गाव / शहर	तहसील	जिला
राजस्थान का / की हूं। मै शपथ पूर्वक बयान		-00		/- <del>-</del> 0
(1) मैं राजस्थान के अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग				का/का सदस्य हू
(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्य		(5.1)	<u> </u>	
<ul><li>(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थ</li><li>(4) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जा</li></ul>	(A) (A)	98	61	
(4) यह कि नेन किसा ना जिल्हें प्रदेश से जा	ात का अनाण पत्र गहा ब	नपाया है।	ਵ	स्ताक्षर शपथग्रहिता
			Q	MIGIC RISENIEM
	for the second series	<del>0</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- <del></del>
जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतयाः राजस्व	ारकाड यथा मूम जमाब गे स्थिति में हल्का पटवार		नलाइन उपलब	भ नहा
श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र व				पत्र / पत्री
				3 / 3
	के /की है। स	177	र्गकी जाति	
श्री निवासी		177	र्ग की जाति	
		177	र्ग की जाति	
श्री निवासी		177	र्ग की जाति	
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		177	हर	ताक्षर पटवारी
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		177	हरू हल्का नं	ताक्षर पटवारी
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		177	हरू हल्का नं तहसील	ताक्षर पटवारी
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		177	हरू हल्का नं तहसील उपखण्ड	ताक्षर पटवारी
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		177	हरू हल्का नं तहसील उपखण्ड	ताक्षर पटवारी
श्रीनिवासी का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर		ह अन्य / विशेष पिछड़े व	हस्स हल्का नं तहसील उपखण्ड जिला	ताक्षर पटवारी

- 2. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे— प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाईन नहीं हो तो।
- 3. आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्तावेज नहीं हो तो।
- 4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
- 5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा— संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / राजकीय अधिकारी—कर्मचारी / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद सदस्य / सरपंच / ग्राम सेवक / पटवारी / महापौर (सचीव) / नगर निगम सदस्य / नगर पालिका अध्यक्ष / स्कूल के हेड मास्टर / संबंधित पी.एच.सी. / सी.एच.सी के डॉक्टर / बी.डी.ओ. / सहायक अभियन्ता
- 6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाईन नही हो तो।